लोक शिक्षण संचालनालय,मध्यप्रदेश

गौतम नगर,भोपाल–462023 ई–मेल
dpividhya@gmail.com दूरभाष 0755–2583650

कमांक/विद्या/शुल्क/शिकायत/विस/21/242- भोपाल,दिनांक 08-02-2021

प्रति,

समस्त संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश ।
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषयः–अशासकीय स्कूलों द्वारा अध्ययनरत बच्चों की समय पर फीस जमा न करने के कारण बच्चों को प्रताड़ित करने से संबंधी शिकायतों के निराकरण के संबंध में।

संदर्भः–म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क/एफ–44–9/2018 भोपाल, दिनांक 14/3/18

––00––

विषयान्तर्गत लेख है, कि अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की समय पर फीस जमा न होने के कारण बच्चों को विद्यालयों द्वारा प्रताडित किये जाने सें संबंधित शिकायतें अभिभावकों द्वारा समय–समय पर जिलों में प्रेषित की गई है। सत्र 2020–21 में कोविड–19 महामारी के कारण शालाऐं संचालित नहीं रही है, इस कारण शालाओं में ऑनलाइन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में कतिपय विद्यालयों द्वारा अध्ययनरत बच्चों की फीस समय पर जमा न करने के कारण बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं एवं मासिक टेस्ट, अन्य आन्तरिक परीक्षा से वंचित किये जाने जैसी शिकायतें भी प्राप्त हुई है।

इस संबंध में पूर्व में संदर्भित पत्र द्वारा निर्देश जारी कर अवगत कराया गया है, कि अशासकीय शालाओं में अध्ययनरत बच्चों की फीस जमा न करने के कारण उन्हें कक्षाओं से वंचित न किया जावे एवं किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं किया जावे। बच्चों की फीस समय पर प्राप्त न होने का मुद्दा स्कूल प्रबंधन तथा अभिभावकों से संबंधित है, यह एक वित्तीय विषय है, इसलिए इसका समाधान अभिभावकों से चर्चा कर किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में बच्चों को स्कूल आने से/ऑनलाइन कक्षा/परीक्षा आदि में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि बच्चों को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया जाना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा–75 का उल्लंघन माना जावेगा। इसके लिए संबंधित शाला के विरूद्ध एक्ट के प्रावधान अनुसार कार्यवाही भी की जावेगी।

इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

संलग्नःउपरोक्तानुसार।

(के.के.द्विवेदी)
संचालक
लोकशिक्षण,म.प्र.

पृ.क्रमांक/विद्या/शुल्क/शिकायत/विस/21/243 — भोपाल,दिनांक08-02-2021

प्रतिलिपिः—

1—उपसचिव,म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2—संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल।
3—समस्त कलेक्टर, म.प्र की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4—सचिव,म.प्र.बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग, नर्मदा भवन,अरेरा हिल्स,भोपाल।
5—जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र, म.प्र.।

संचालक
लोकशिक्षण,म.प्र.

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 44-9/2018/20-2/ भोपाल, दिनांक 14/03/2018

प्रति,
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

2- समस्त जिला परियोजना समन्वयक
मध्यप्रदेश

विषय:-शिक्षा का अधिकार अधिनियम – अशासकीय स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को प्रताड़ित किये जाने के संबंध में।

सन्दर्भ:-श्री प्रियंक कानूनगो, सदस्य राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली का पत्र दिनांक 12.2.2018

-0-

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली का अर्धशासकीय क्रमांक 29018/03/17-18/NCPCR/RTE, दिनांक 12.2.2018 में दिये गये निर्देश के परिपालन में अशासकीय शालाओं के लिए नियमानुसार निर्देश जारी किये जाते है:-

2/ अशासकीय स्कूलों द्वारा अध्ययनरत बच्चों को समय पर फीस न जमा करने के कारण प्रताड़ित किये जाने के प्रकरण समक्ष में आते है एवं इस कारण से विद्यार्थियों की आत्महत्या की घटनायें भी प्रकाश में आयी है। इस मुद्दे पर बच्चों को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करना Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 की धारा 75 का उल्लंघन है। बच्चों की फीस समय पर प्रदाय न होने का मुद्दा स्कूल प्रबंधन तथा अभिभावकों से संबंधित है। यह एक वित्तीय विषय है, इसलिए इसका समाधान अभिभावक से ही बातचीत कर की जानी चाहिए।

3/ अतः यदि किसी अशासकीय स्कूल द्वारा उक्त निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाये। कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराये जाये।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

14/3/18
(प्रमोद सिंह)
उप सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग